स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 166, दिनांक 04–06–2024

जनपद अयोध्या के थाना तारून में पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2024 धारा में वाँछित अभियुक्तों को जनपद अयोध्या से एसटीएफ द्वारा किया गिरफ्तार।

दिनांकः 04–06–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद अयोध्या के थाना तारून में पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि में वाँछित 03 अभियुक्तों को जनपद अयोध्या से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– रणवीर सिंह उर्फ बन्टी सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह नि0 बैंतीकला, थाना हैदरगंज, जनपद अयोध्या।
2– अभिषेक सिंह उर्फ रिशभ उर्फ रिशू पुत्र दिनेश सिंह नि0 मदारभारी, थाना भीटी, जनपद अम्बेडकरनगर।
3– संदीप कुमार गोस्वामी पुत्र राधेश्याम गोस्वामी नि0 शिवहोरिया गोसाईकापुरवा, थाना हैदरगंज, जनपद अयोध्या।

बरामदगीः–

1– एक अदद पिस्टल 32 बोर
2– 02 अदद जिन्दा कारतूस
3– 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार नं0 यूपी–42–बीजे–9958 (घटना में प्रयुक्त)
4– 01 अदद अपाचे नं0 यूपी–45–एक्यू–6019
5– 02 अदद मोबाइल फोन
6– 01 अदद पैन कार्ड
7– 01 अदद आधार कार्ड
8– रू0 740/– नगद

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः–

दिनांक 04–06–2024 को समय लगभग 21.30 बजे। थाना तारून बाजार क्षेत्र, लालगंज तिराहा से पड़ेवा जाने वाली रोड पर बने ट्यूबवैल, ग्राम जयसिंह मऊ, जनपद अयोध्या।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 30–05–2024 को खैनीपुर निदयावा, एम0ए0 घाटपुल पर शुभम यादव पुत्र जय प्रकाश यादव नि0 भटपुरा, थाना गोसाईगंज, जनपद सुलतानपुर की रणवीर सिंह उर्फ बन्टी सिंह, अभिषेक सिंह उर्फ रिशभ उर्फ रिशू, आदित्य सिंह, नितिन राणा व संदीप कुमार गोस्वामी से आपसी विवाद में हत्या कर दी गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना तारून, जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि में नामजद पंजीकृत हुआ। अभियोग पंजीकृत होने के बाद उपरोक्त अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध एस0टी0एफ0 से सहयोग मांगा गया, जिसके क्रम में श्री विमल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन क्रम में ज्ञात हुआ कि थाना तारून, जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि में वाँछित अभियुक्त थानाक्षेत्र तारून में

आये हुए हैं। इस सम्बन्ध में निरीक्षक श्री महावीर सिंह, निरीक्षक श्री दीपक सिंह, उपनिरीक्षक श्री सत्यप्रकाश सिंह, उपनिरीक्षक श्री उमाशंकर, मुख्य आरक्षी भूपेन्द्र सिंह, आरक्षी अंकित पाण्डेय, आरक्षी अंकित सिंह की एक टीम आपराधिक अभिसूचना संकलन हेतु जनपद अयोध्या में भ्रमणशील थी, के द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर के बताये गये उपरोक्त स्थान से उपरोक्त अभियुक्तों को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में रणवीर सिंह उर्फ बन्टी सिंह ने बताया कि 06 माह पूर्व शुभम यादव से उसका विवाद हो गया था, जिसमें शुभम यादव ने रणवीर सिंह के पैर में गोली मार दी थी और भाग गया था। तभी से हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे। दिनांक 30–05–2024 को रणवीर सिंह के मित्र नवनीत यादव ने फोन करके बताया कि शुभम एक बथडे पार्टी में आया हुआ है। नवनीत यादव की इस सूचना पर मैंने अभिषेक सिंह को शुभम यादव को लेकर आने को कहा, जिसपर अभिषेक सिंह अपनी अपाचे मोटर साइकिल से रोहित तिवारी उर्फ अंकित के साथ जहाँ पार्टी हो रही थी, वहाँ पहुँचे और शुभम को बहाने से बुलाकर अभिषेक व रोहित विशुन बाबा के स्थान पर ले आये जहाँ पर पहले से मौजूद मैं, संदीप कुमार गोस्वामी, आदित्य सिंह और नितिन राणा स्विफ्ट डिजायर कार मे बैठा था। वहाँ अभिषेक ने शुभम यादव की गोली मार कर हत्या कर दी। हम लोगों ने मिलकर लाश को खेमीपुल निधयांवा एमीघाट पुल के नीचे फेंक दिया। इस हत्या के सम्बन्ध में थाना तारून, जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि का पंजीकृत हुआ। अभियोग पंजीकृत होने के बाद हम लोग अलग–अलग भाग गये और लुक–छिप कर रहने लगे। रणवीर सिंह के उपरोक्त बयान का समर्थन संदीप कुमार गोस्वामी व अभिषेक सिंह ने भी किया।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना तारून, जनपद अयोध्या में मु0अ0सं0 180/2024 धारा 147/148/149/302/201/34 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।